

**अध्यक्ष महोदय :** आप ने नाम नहीं दिया है . . . . (व्यवधान)

**श्री शिव नारायण (बांसी) :** नहीं, आप का नाम नहीं है।

**श्री हुकम चन्द कछवाय (देवागढ़) :** मैं जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने जितनी सम्पत्ति हमारी देवायी है वह लगभग सरकार ने भ्रन्दाजा लगाया है कितने की है क्या उस के जवाब में जो पाकिस्तान की सम्पत्ति हमारे देश में है उस पर कब्जा करने का सरकार विचार रखती है ?

**श्री बागड़ी :** अध्यक्ष महोदय . . . . .

**अध्यक्ष महोदय :** आप का नाम तो नहीं है। आपने नाम दिया है ?

**श्री बागड़ी :** मुझे पता नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय :** कामत, चक्रवर्ती, हेम बरुआ, विश्वानाथ पाण्डेय,

**श्री बागड़ी :** क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे . . .

**अध्यक्ष महोदय :** आप बैठने की कृपा करिए।

14.37 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

SEVENTY-FOURTH REPORT

**Shri Hem Raj (Kangra):** I beg to move:

"That this House agrees with the Seventy-fourth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 24th November, 1965."

**Mr. Speaker:** The question is:

"That this House agrees with the Seventy-fourth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented

to the House on the 24th November, 1965."

*The motion was adopted.*

**श्री मधु लिमये (मुंगेर) :** अध्यक्ष महोदय, मैं ने यह जो असरकारी सदस्यों का काम होता है उस के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने की . . . . .

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने तो दूसरे का नाम लिया है . . . . (व्यवधान) आप बतायें कि आप क्या कहना चाहते हैं ? आप ने कोई नोटिस दिया है ?

**श्री मधु लिमये :** दिया है अध्यक्ष महोदय, दिया है। बहुत दिन पहले दिया है।

**अध्यक्ष महोदय :** बहुत अच्छा, मैं बुला लूँगा फिर। इन को बोल लेने दीजिए।

---

14.39 hrs.

MOTION UNDER RULES 388 RE: RESOLUTION ON INDIA QUITTING THE COMMONWEALTH

**Shri D. N. Tiwary (Gopalganj):** I beg to move:

"That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha be suspended in its application to the Resolution regarding India quitting the Commonwealth moved by Shri Bhagwat Jha Azad on the 24th September, 1965, further debate on which was adjourned on the 12th November, 1965."

On that day, I was not allowed to move the second motion.

**Mr. Speaker:** That could not be a ground.

**श्री मधु लिमये (मुंगेर) :** अध्यक्ष महोदय मैं ने अपने पत्र में आप से यह निवेदन किया था कि 23 सितम्बर, को-पिछले सत्र की बात है-जब यह फैसला हुआ कि आखिरी दिन में